राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः—आर0एम0पी0यू0/2099/2023 दिनांकः 31 जुलाई, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सृजित ऑनलाइन सम्बद्धता पोर्टल के माध्यम से जिन महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2023—24 में नवीन पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन किया गया एवं उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता पत्र में अंकित कतिपय शर्तों के साथ सत्र 2023—24 हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। अन्य शर्तों के साथ यह भी शर्त अंकित थी कि बिना कक्षा संचालन की अनुमति के नवीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं लिया जायेगा।

मा0 कुलपति जी द्वारा व्यापक छात्रहित में यह निर्णय लिया गया है कि जिन पूर्व संचालित/नवीन महाविद्यालयों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में सत्र 2023—24 हेतु विभिन्न शर्तों के साथ सम्बद्धता प्रदान की गयी थी, उन्हें कक्षा संचालन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि ऐसे सभी महाविद्यालय एक माह में सम्बद्धता पत्र में अंकित सभी शर्तें अवश्य पूरी कर लेंगे।

31/7

(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा/अलीगढ़।
4. सभी प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक, सम्बन्धित महाविद्यालय।
5. सम्पादक, समस्त समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. प्रभारी वेबसाईट को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉगईन आई0डी0 पर प्रवेश प्रारम्भ कर दें।
7. गार्ड फाईल।

31.07.23
सहा0 कुलसचिव

Scanned with CamScanner